

उत्तर प्रदेश शारान
नगर विकास अनुभाग-3
संख्या- 606/9-3-2022-157सी/2004
लखनऊ: दिनांक 12 मई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-43 सन 1975) की धारा-4(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल शासन के अग्रिम आदेश तक श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975, (यथासंशोधित) अधिनियम, 2021 की धारा - 3 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस हेतु श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अलग से कोई भी वेतन, भत्ता अथवा मानदेय देय नहीं होगा।

अनिल कुमार
सचिव

संख्या- 606 (1)/9-3-2022-157सी/2004, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित, इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 250 मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 2. श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
 5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, दुग्ध विकास, मत्स्य, पशुधन तथा समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन एवं परियोजना समन्वयक, डास्प, लखनऊ (तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।)
 7. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 8. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
 9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
 11. विशेष कार्याधिकारी, अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
 12. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव